तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]/2/21	वकुलाय उप० उभय पक्ष बहस हेतु एक अवसर और चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली आयन्दा दिनांक 11/2/21 को पेश हो। sd/ SDO Sojat	
11/2/21	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इलाया होकर पत्रावली दिनांक 22/2/21 को पेश हो। sd/ रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
22/2/21	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इलाया होकर पत्रावली दिनांक 25/2/21 को पेश हो। sd/ रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
25/2/21	वकुलाय उप० उभय पक्ष बहस हेतु एक अवसर और चाहते हैं अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली आयन्दा दिनांक 10/3/21 को पेश हो। sd/ SDO Sojat	
10/3/21	वकुलाय उप० बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 सुनी गई व समायत की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया की स्वरूप मौजा सोजत चक प्रथम के रिवीजन सेटलमेन्ट के पुराने खसरा नम्बर 111/26 रकबा 2 बीघा 1 बीस्वा साझे शुद्ध स्थित है, उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 5 के पिता लक्ष्मण जी, गिरधारी, नारायण जी, पीरदान सीमीया जातियान घांची की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की साझे शुद्ध स्थित है। सेटलमेन्ट के दौरान रिवीजन सेटलमेन्ट के पुराने खसरा नम्बर 111/26 के नये खसरा नम्बर 1543 रकबा 0.25 हैक्टर तथा ख.न. 1544 रकबा 0.0200 हैक्टर एवं ख.न. 1546 रकबा 0.1000 हैक्टर बनाये गये हैं। पुराने ख.न. 111/26 लक्ष्मण, नारायण, गिरधारी, पीरदान सीमीया घांची के नाम खातेदारी मुशाअ sd/	[illegible] 2 दे [illegible]/2/21 sd/

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/11/2021 C.P.		

वकलाए उभय
अधिवक्ता प्रति संख्या 1 व 3 की ओर से वकालात

होते हुये रिवाजिन सेटलमेन्ट के वक्त सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने पुरानी प्रविष्टि को लिपिट रहते कर अधिकार क्षेत्र से परे जाकर पुराने ख.न. 111/26 से बना नया ख.न. 1546 रकबा 0.1000 हेक्टर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता की खातेदारी दर्ज नहीं करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 तथा अप्रार्थी संख्या 2 के पिता रामराम पुत्र मगना के नाम की खातेदारी इन्द्राज कर दी गई। ख.न. 111/26 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त होने की पूर्ण जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को भली प्रकार तरीके से है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2030 से 2033 तक कब्जे काश्त दर्ज अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त भूमि का अन्यत्र बेचान हस्तान्तरण कर आमादा है। ऐसा करने में यदि वह सफल हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 01 व 02 जारी कर उन्हें वादग्रस्त भूमि ख.न. 1546 का बेचान रहन, बख्शीश, हस्तान्तरण आदि नहीं करने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त ख.न. 1546 की भूमि में दखल अन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सेटलमेन्ट चक नम्बर 1 प्रथम के रिवाजिन सेटलमेन्ट के पुराने खसरा नम्बर 111/26 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा की कृषि भूमि स्थित होना सही है। जो कृषि भूमि प्रार्थी के नहीं होकर लक्ष्मण जी, गिरधारी जी, नारायण जी पीतराम तिवाड़ी जातियान ब्राह्मण निवासी गण सोजत सिटी की हक हकूक एवं कब्जा काश्त की भूमि है। पद में वर्णित तथ्य गलत होने से स्वीकार नहीं है। जबकि सेटलमेन्ट के दौरान रिवाजिन सेटलमेन्ट के पुराने खसरा नम्बर 111/26 के नये ख.न. 1543 रकबा 0.2500 हेक्टर तथा ख.न. 1544 रकबा 0.2400 हेक्टर बनना लिखा है। ख.न. 1546 रकबा 0.1000 हेक्टर भूमि अप्रार्थी की हक हकूक खातेदारी की भूमि 111/27 की भूमि है जो वर्तमान में भी अप्रार्थी संख्या

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सकता है। लिहाजा वादी का अर्जीदावा खारिज किये जाना उचित समझते है। :: आदेश ::- अतः उपरोक्त विवेचन विश्लेषण के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का बलहीन व पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली ऊपर मुकदमा रजिस्टर नम्बर से कम हो बाद तकमील कागजात दाखिल दफ्तर/ रेकर्ड भण्डार जमा हो। (दौलतराम चौधरी) उप खण्ड अधिकारी, टोडर निर्णय आज दिनांक 10/03/2021 को खुले इजलास सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। (दौलतराम चौधरी) उप खण्ड अधिकारी, टोडर	